अति महत्वपूर्ण

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

FORMERLY UNIVERSITY OF BIKANER, BIKANER

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड़, बीकानेर–334004 (राजस्थान) भारत

दूरभाष / Phone : 0151-2970064 ई–मेल / E-mail : coe@mgsubikaner.ac.in

क्रमांक : प.15 ( )/मगसिंविबी/परीक्षा/2020/5182 दिनांक : 16/12/2020

प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग,
महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय,
बीकानेर।

विषयः– कोविड–19 के कारण मुख्य परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों की सूचना के सम्बंध में।
संदर्भः– विश्वविद्यालय पत्रांक 4408 दिनांक 06.11.2020 के क्रम में।

महोदय,

कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 06.11.2020 का अवलोकन करें जिसके द्वारा कोविड–19 के कारण आपके महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र के मुख्य परीक्षा–2020 में प्रविष्ट होने से वंचित रहे विद्यार्थियों की सूचि, विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र व सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी कोविड–19 की रिपोर्ट/प्रपत्र के साथ विश्वविद्यालय में प्रेषित करने हेत अनुरोध किया गया था। पुनः निवेदन है कि उच्च शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 08.09.2020 (छाया प्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 4 में अंकित कारणों से मुख्य परीक्षा–2020 से वंचित विद्यार्थियों की सूचि दिनांक 25.12.2020 तकं विश्वविद्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करावें ताकि ऐसे विद्यार्थियों की विशेष परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाही की जा सके। दिनांक 25.12.2020 के पश्चात् प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्र दुबारा भिजवाने की आवश्यकता नहीं है।

कृपया इसे उचित प्राथमिकता प्रदान करें।

(डॉ. जे.एस. खीचड़)
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : प.15 ( )/मगसिंविबी/परीक्षा/ 2020/5183-5186 दिनांक : 16/12/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. निजी सहायक, कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर।
3. श्री फौजा सिंह, नोडल अधिकारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. सहायक कुलसचिव, गोपनीय, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर।
5. तकनीकी फर्म..।

सहायक कुलसचिव–परीक्षा

Scanned by CamScanner

S.O (P.G)
14/9/2020

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (7)/शिक्षा-4/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 08.09.2020

951
14/09/2020

1. कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुलपति, जयनारायाण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
4. कुलपति, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
5. कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
9. कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
10. कुलपति, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
11. कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
12. कुलपति, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
13. कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
14. प्रेसिडेन्ट, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
15. कुलसचिवगण, समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय, राजस्थान।

विषयः-यूजीसी दिशानिर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2020 के अनुसरण मे विश्वविद्यालयों की सत्र 2019-20 की अंतिम वर्ष की बकाया परीक्षायें आयोजित करने बाबत्।

संदर्भः- विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 03.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि यूजीसी दिशानिर्देश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2020 के अनुसार विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की सत्र 2019-20 की शेष परीक्षायें 30.09.2020 तक सम्पन्न करवाई जानी हैं। इस हेतु आपको संदर्भित पत्र दिनांक 03.09.2020 प्रेषित कर समय सारणी बनाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखा जा चुका है। अतः इस संबंध में निम्नांकित कार्यवाही करवाये जाने की सलाह दी जाती है :-

1. शेष रहे प्रश्न पत्रों की संख्या की अधिकता तथा कार्य दिवसों की कमी के कारण यदि अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की सभी परीक्षायें 30.09.2020 तक सम्पन्न करवाना संभव नहीं हो तो अवगत करावें कि शेष परीक्षायें कब तक सम्पन्न करवा सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयनुसार डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम के तहत तिथि बढाने हेतु विस्तृत कार्यकम के साथ प्रस्ताव इस विभाग को भिजवायें ताकि यूजीसी से अवधि बढाने हेतु अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।
2. कोविड-19 के फैलाव को देखते हुये छात्र एवं संकाय सदस्यों के हित में परीक्षा की अवधि 1.5 या 2 घण्टे तय कर दी जावे तथा इसी अनुपात मे प्रश्न पत्रों में हल किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या रखी जावे। प्रश्न पत्रों मे प्रत्येक सेक्शन से प्रश्न हल करने की बाध्यता भी समाप्त कर दी जाये।
3. परीक्षा की अवधि को 1.5-2 घण्टे करने के साथ ही एक दिन मे 3 पारियों में परीक्षा करवाने पर भी विचार किया जावे ताकि परीक्षायें जल्दी सम्पन्न हो सकें।
4. कोविड-19 के कारण कोरोना संकमित विद्यार्थियों, कटेंन्मेंट जोन के विद्यार्थियों एवं राज्य से बाहर गये हुये विद्यार्थियों, जो परीक्षा में सम्मिलित नही हो पाते हैं, उनके लिये स्थिति सामान्य होने पर विशेष परीक्षा का आयोजन कराया जाना भी सुनिश्चित करें ताकि प्रभावित विद्यार्थी परीक्षा से वंचित नही रहें।
5. परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र जारी करने के संबंध में भी कार्य योजना बनावें एवं माह नवम्बर, 2020 के अंत तक सभी परिणाम जारी करें, ताकि छात्रों के कैरियर की हानि न हो। वे समय पर उच्च कक्षाओं मे प्रवेश ले सकें या रोजगार प्राप्त कर सकें।

COE
Registrar

---2

Scanned by CamScanner

6. प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के प्रायोगिक रिकॉर्ड के आधार पर ही सम्पन्न करवाई जावे। इस हेतु परीक्षार्थी को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय मे नही बुलाया जावे।
7. कोविड–19 के संक्रमण से बचाव हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संघठन द्वारा समय–समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशानिर्देशों की पालना, यथा मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केन्द्र को सेनेटाइज करना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीया,

(शुचि शर्मा)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षामंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा।
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
6. निदेशक कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. कुलसचिव, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
8. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned by CamScanner